

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर


// आदेश //

रायपुर, दिनांक ०८/१२/२०१६

क्र.१३८६/८०४/२०१६/स्था./चार :- राज्य शासन, एतद्वारा, वित्त निर्देश २५/२०१२ के परिप्रेक्ष्य में संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ के अपरीक्षित नवीन मद में शामिल प्रस्तावों के परीक्षण एवं अनुशंसा हेतु प्रशासकीय विभाग (वित्त विभाग) के अंतर्गत निम्नानुसार समिति का गठन करता है :-

सचिव, वित्त	अध्यक्ष
संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन	सदस्य
संयुक्त सचिव, वित्त (बजट शाखा- १)	सदस्य
उप सचिव, वित्त (स्थापना शाखा)	सदस्य सचिव

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार


(डॉ. ए. के. सिंह)
उप सचिव

पृष्ठा.क्र. १३८७/८०४/२०१६/स्था./चार
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक ०८/१२/२०१६

१. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य मंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर
२. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
३. विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
४. संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग (बजट शाखा- १), मंत्रालय, नया रायपुर
५. उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग (स्थापना शाखा), मंत्रालय, नया रायपुर
६. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
७. समस्त विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
८. आदेश फोल्डर

_____ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित



(अतुल कुलश्रेष्ठ)
शोध अधिकारी

दूरभाष क्र. ०७७१-२५१००७१